स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 238 दिनांक : 22.06.2022
30

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, के समक्ष इस विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2019-20 के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं के उपापन / क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं आक्षेप संख्या 38 में दर्शाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में प्रकरण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, बीकानेर द्वारा लाया गया है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि वस्तु एवं सेवाओं के उपापन / क्रय प्रक्रिया के संबंध में आक्षेप संख्या 38 में वर्णित दिशा निर्देश / अंकेक्षण टिप्पणी, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, के अनुसार आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करवाने का श्रम करावे।

उक्तानुसार, जारी इस अति आवश्यक निर्देश की पालना विश्वविद्यालय में सुनिश्चित रूप से करावे ताकि भविष्य में अनियमितताएं से बचा जा सके ।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

आक्षेप सं. 38 :–

वस्तु एवं सेवाओं के उपापन/क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं :–

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 3 एवं अधिनियम के प्रयोजनार्थ बनाये गये नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही लाने के लिए दिनांक 26.01.13 से समस्त राजकीय विभागों, स्थानीय निकायें, बोर्ड एवं अन्य सभी प्रकार के स्वायतशाषी संस्थानों पर लागू है।

उक्त अधिनियम एवं नियम के अनतर्गत माल एवं सेवाओं के उपापन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया/प्रावधान निर्धारित है :–

1. समिति बोली :– नियम 16 के अनुसार कोई उपापन संस्था समिति बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक बार में दो लाख रूपये से कम हो किन्तु वित्तीय वर्ष में यह दस लाख से अधिक नहीं होगा।

2. कोटेशनों के लिए अनुरोध :– नियम 24 के अनुसार कोई उपापन संस्था उपापन के लिए कोटशेन के लिए अनुरेध की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर एक लाख रूपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।

3. मौके पर क्रय :– नियम 25 के अनुसार कोई उपापन संस्था मौका क्रय समिति की सिफारिश पर उपापन के लिए मौके पर क्रय की पद्धति को अंगीकृत कर सकती है यदि उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पचास हजार रूपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।

4. कोटेशनों के बिना उपापन :– नियम 26 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रूपये से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए एक अवसर पर दस हजार रूपये तक मूल्य के उपापन की विषय वस्तु कोटेशन आमन्त्रित किये बिना उपाप्त कर सकेगी।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)

5. एकल स्त्रोत उपापन :– नियम 17 के अनुसार कोई उपापन संस्था एकल स्त्रोत उपापन की प्रक्रिया अपना सकती है जब उपापन की विषय वस्तु का मूल्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हो। यदि उपापन का मूल्य एक लाख उससे अधिक है तो बोली के आमन्त्रण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। उपापन संस्था अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग कर उपापन चयन कर सकेगी।

6. दर संविदा :– नियम 29 के अनुसार उपापन संस्था दर संविदा की पद्धति अंगीकार कर सकेगी जब वह यह अवधारित करे कि उपापन की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर समय की दी गई कालावधि के दौरान अति आवश्यक आधार पर उस विषय वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। दर संविदा सामान्यतः एक वर्ष एवं अधिकतम दो वर्ष तक की जा सकती है।

7. अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन :– नियम 32 के अनुसार कोई उपापन संस्था बोली आमन्त्रित किये बिना समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन की विषय वस्तु उपाप्त कर सकेगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.09.13 को अधिसूचना जारी की गई है।

8. खुली प्रतियोगी बोली :– कोई उपापन संस्था राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 05 के अनुसार प्रक्रिया अपना कर खुली प्रतियोगी बोली (Open Tender) से वस्तु एवं सेवाओं का उपापन कर सकेगी।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों के आलौच्य अवधि के आंशिक भुगतान वाउचरों, क्रय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई प्राधिकारियों के द्वारा राशि 10000/– रूपये से अधिक के माल एवं सेवाओं के उपापन में सीमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध, मौके पर क्रय, दर संविदा, अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन एवं खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जिसका विवरण अनुसूची सं. 08 में दिया गया है।

अनुसूची सं. 08 के अनुसार सामग्री एवं सेवाओं का उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 24 के विपरीत है। अतः उक्त सामग्री एवं सेवाओं के उपापन प्रकरण सक्षम प्राधिकारी से नियमित करावें।

प्रकरण वित्त नियंत्रक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु लाया जाता है।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

(2)
जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)